उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता हेतु महोबा पुलिस द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 19.11.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस दौरान थानों की पुलिस टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों, उनकी रोकथाम, तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु उपलब्ध सुविधाओं व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें वूमेन पॉवर लाइन– 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा– 112, एम्बुलेंस– 108, चाइल्ड लाइन– 1098, स्वास्थ्य सेवा– 102, महिला हेल्पलाइन– 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन– 1076, साइबर हेल्पलाइन– 1930 साथ ही उन्हें गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई एवं शासन द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका व उनके माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई।

उद्देश्य - महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे ये जन-जागरूकता कार्यक्रम न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सजग और सुरक्षित बनने का संदेश दे रहे हैं, बल्कि समाज में नारी सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक सार्थक कदम हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा मासिक सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। जनपद में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, प्रभावी अपराध नियंत्रण और उत्कृष्ट पुलिसिंग की दिशा में दिए कड़े निर्देश..

दिनांक 19.11.2025 की देर सायं रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष, महोबा में पुलिस अधीक्षक श्री प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत सैनिक सम्मेलन से हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने जनपदीय पुलिस कर्मियों की समस्याओं का अनुश्रवण करते हुए उनके समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने थानों में नियमित रूप से सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिस कर्मियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें।

बैठक के दौरान CCTNS में लगातार पाँचवीं बार प्रथम रैंक प्राप्त करने पर नोडल अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बीट पुलिस अधिकारी अपनी बीट बुक में सभी आवश्यक विवरणों का पूर्ण अंकन सुनिश्चित करें, क्षेत्र के सभी अपराधियों का विस्तृत खाका तैयार रखें तथा उनके सत्यापन की प्रक्रिया में शत-प्रतिशत अनुपालन कराएं।

आगामी शीत ऋतु को ध्यान में रखते हुए चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सभी पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की सूची को अद्यावधिक रखते हुए उन पर सतत निगरानी रखी जाए तथा सर्राफा बाजार, मुख्य बाजार एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। हाल ही में राजधानी दिल्ली में घटित घटना को देखते हुए जनपद के सभी आयुध भंडारों की सघन चेकिंग कर स्टॉक, बिक्री एवं अभिलेखों की परीक्षण प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने के भी निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का गहन होमवर्क करें, प्रत्येक छोटी-बड़ी गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें तथा जुआ-सट्टा, अवैध शराब एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाएं।

अपराध समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जनपद में घटित आपराधिक घटनाओं एवं पंजीकृत अभियोगों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने लम्बित विवेचनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु अभियान चलाकर शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वांछित एवं मफरूर अभियुक्तों की गिरफ्तारी, महिला सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रण, अपहृत व्यक्तियों की बरामदगी तथा पुरस्कार घोषित अपराधियों की

साथ ही शातिर एवं आदतन अपराधियों की
जोर दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि
शस्त्र अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट तथा गुण्डा
घटना पर पंजीकृत मुकदमे की प्राथमिक
करने के भी निर्देश दिए गए।

ा अभियानों की समीक्षा करते हुए पुलिस
प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए तथा यातायात
डालने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत

बनाते हुए IGRS पोर्टल, पीजी पोर्टल एवं
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ती वंदना सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री
ार निरीक्षक श्री शिवकुमार तथा जनपद के
वं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 19.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

यातायात माह नवंबर के अंतर्गत यातायात महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान... स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश”

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने हेतु *यातायात माह नवंबर* के अंतर्गत विशेष जनजागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2025 को जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में *रॉयल इंटरनेशनल स्कूल* में विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल स्टाफ तथा छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा, हेलमेट/सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, सड़क संकेतों एवं यातायात नियमों के पालन के महत्व से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रस्तुति तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और अधिक सुदृढ़ हुई।

महोबा पुलिस द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनपदवासियों से अपील की जाती है कि वे सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित यात्रा को अपनी प्राथमिकता बनाएं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 19.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा यातायात माह के अंतर्गत RBPS स्कूल में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

आज दिनांक 19.11.2025 को यातायात माह के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ क्षेत्रांतर्गत RBPS स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्रों में यातायात सुरक्षा, नियमों के पालन तथा तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करना था।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी श्री रविकांत गोंड ने विद्यार्थियों को सरल एवं प्रभावी तरीके से यातायात नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि “यातायात नियम केवल विधिक प्रावधान नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की सबसे महत्वपूर्ण ढाल हैं। इनका पालन प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।”

उन्होंने हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग, ओवरस्पीडिंग व स्टंट ड्राइविंग के दुष्परिणाम, सड़क संकेतों की समझ, पैदल यात्रियों के अधिकार तथा स्कूल ज़ोन में विशेष सावधानी जैसे बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग साइबर सुरक्षा जागरूकता पर भी केंद्रित रहा। इस दौरान छात्रों को डिजिटल युग में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक लिंक, पासवर्ड सुरक्षा, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया प्राइवेसी, साइबर बुलिंग आदि के प्रति सतर्क किया गया। विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि “साइबर अपराध उतना ही खतरनाक है जितना कोई वास्तविक अपराध। ज़रूरत है कि हम डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही सतर्कता बरतें जितनी वास्तविक जीवन में।”

उन्होंने छात्रों से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत माता-पिता अथवा पुलिस को देने तथा सरकारी साइबर हेल्पलाइन 1930 का उपयोग करने की अपील की।

कार्यक्रम में RBPS स्कूल के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ, प्रभारी थाना कुलपहाड़ निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी ने क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ की इस पहल की सराहना की और इसे बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला कदम बताया।

सीओ कुलपहाड़ ने रात्रिकालीन औचक निरीक्षण में डायल-112 पीआरवी वाहनों की तत्परता पर दिए सख्त निर्देश

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड द्वारा देर रात्रि में भ्रमणशील रहते हुए सर्किल कुलपहाड़ क्षेत्र में संचालित विभिन्न आपातकालीन सेवा डायल-112 पीआरवी वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीआरवी वाहनों में ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों की मौके पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई तथा उनकी तैनाती एवं कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया गया।

क्षेत्राधिकारी द्वारा पीआरवी वाहनों में नियुक्त कर्मियों को निर्देशित किया गया कि-

- प्राप्त होने वाले प्रत्येक इवेंट पर तत्काल एवं प्रभावी रिस्पांस सुनिश्चित करें।
- रात्रि गश्त के दौरान विशेष सतर्कता बरतें।
- किसी भी आपात परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता और आवश्यक सेवा प्रदान करें।

उन्होंने यह भी कहा कि डायल-112 सेवा आमजन के लिए भरोसे का प्रतीक है, इसलिए इसकी तत्परता एवं सक्रियता में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

इस दौरान प्र0नि0 थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार, प्र0नि0 थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 19.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 202/2025 धारा 288/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त थानाक्षेत्र अन्तर्गत भूरा टूड़र मोड़ पर बने यात्री प्रतिक्षालय बहद ग्राम भूरा टूड़र से अवैध शस्त्र व कारतूस लिये 01 नफर अभियुक्त राममिलन राजपूत पुत्र स्व0 करन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह 2.का0 मनोज कुमार 3.का0 नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

राममिलन राजपूत पुत्र स्व0 करन सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने मुकदमें में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध रायफल व जिन्दा/खोखा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ-साथ अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 18.11.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 कन्हैयालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 202/2025 धारा 288/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अशोक कुमार राजपूत पुत्र धुजपाल राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को रिवई मोड से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त एक अदद रायफल 315 बोर पहने हुए लोवर पैन्ट की बांयी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कार0 315 बोर का नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25(9) आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अशोक कुमार राजपूत पुत्र धुजपाल राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम दादरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल थाना महोबकंठ,
2. उ0नि0 अजय प्रपात सिंह 3. का0 मनोज कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 19.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सीओ एवं एसडीएम के संयुक्त नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध महोबा पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, भारी मात्रा में लहन व उपकरण व कच्ची शराब की गयी नष्ट...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.11.2025 को थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत कबूतरा डेरा, ग्राम मुंडारी में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड एवं उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में की गई इस संयुक्त छापेमारी के दौरान मौके पर अवैध कच्ची शराब तैयार करने हेतु प्रयुक्त भट्ठी, बॉयलर ड्रम, टंकियां आदि उपकरणों को नष्ट किया गया। साथ ही लगभग 5000 लीटर मिश्रित लहन तथा 120 लीटर कच्ची शराब को मौके पर ही जेसीबी बुलाकर नष्ट किया गया है।

अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध यह कार्रवाई जनपद में संचालित सतत अभियान का एक महत्त्वपूर्ण चरण है। प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री अनिल कुमार सिंह, आबकारी विभाग के अधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस तथा प्रशासनिक अमले की मौजूदगी रही।